महत्वपूर्ण एवं खास

प्राथमिक शाला से 4 नग पंखे की चोरी

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना घरघोड़ा अन्तर्गत स्थित प्रा0शा0 नवाडीह संकुल केन्द्र कुडुमकेला विकाश खण्ड घरघोडा में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत केदार सिंह राठिया निवासी ग्राम फगुरम द्वारा दिनांक 15.05.19 को विद्यालय में चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। रिपोर्टकर्ता केदार सिंह ने बताया कि दिनांक 02.05.19 के सुबह 7 बजे स्कुल खोलने गये तो देखे एक कक्षा का ताला टूटा था अज्ञात चोर ताला तोडकर स्कूल कक्ष में प्रवेश कर कक्षा में लगे 04 नग पुराना पंखा को चोरी कर ले गया है । चोरी के रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ अप.क्र. 95/19 धारा 457,380 आईपीसी पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है

फेसबुक में देवी देवताओं की आपत्तिजनक पोस्ट पर कोतवाली में शिकायत

न्याय साक्षी/रायगढ़। सोशल अकाउंट फेसबुक पर हिन्दू देवी देवताओं के खिलाफ टिप्पणी और आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर रायगढ़ के धार्मिक संगठनों में रोष व्याप्त है गुरुवार को कुछ हिंदू धार्मिक संगठनों द्वारा कोतवाली में इसकी शिकायत की गई है जिसमें पोस्ट करने वाली एक महिला यूजर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। बुधवार को फेसबुक पर एक महिला यूज़र द्वारा हिंदू देवी देवताओं और हिंदू धर्म को लेकर एक आपत्तिजनक और अश्लील पोस्ट अपलोड किया था जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया जिसे कुछ संगठनों द्वारा हिन्दू धर्म के लिए अपमानजनक मानते हुए पोस्ट पर आपत्ती की गई. जिसमे बीजेपी के कुछ नेताओं के भी शामिल होने की बात की गई है. गुरुवार को इस पोस्ट को लेकर कोतवाली में शिकायत की गई जिसमें पोस्ट करनेवाली महिला यूजर के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई है.

तेज आंधी व बरसात से कई जगह के होर्डिंग गिरे

न्याय साक्षी/रायगढ़। जिले में देर शाम आई तेज आंधी और बारिश के कारण जहां लोगों को तपती गर्मी से कुछ समय के लिए राहत मिली, वहीं इसके कारण कई जगहों पर लगे होर्डिंग्स और पेड़ गिर गए. इस आंधी तूफान के कारण बिजली विभाग के 33केवीए सब स्टेशन में भी गड़बडी आ गई जिससे लगभग डेढ़ घंटे तक शहर की बिजली गुल रही. दिन भर तपती धूप के बाद देर शाम मौसम में नमी आ गई और आसमान में काले बादल के साथ तेज आंधी चलने लगी, साथ ही तेज बारिश के कारण लोगों को गर्मी से कुछ समय के लिए राहत मिलती नजर आई. जिले के सभी जगहों पर तेज हवाएं और आंधी के साथ बरसात हुई है. जिसके कारण जिले के अलग अलग जगहों पर काफी नुकसान हुआ है, कई जगहों पर पेड़ गिरने की बात कही जा रही है, इसके अलावा आंधी के कारण सड़कों किनारे लगे होर्डिंग्स भी गिर गए हैं.

बिजली विभाग की बढ़ी परेशानी

तेज आंधी और बरसात से जहां लोगों को राहत मिली, वहीं बिजली विभाग के लिए यह परेशानी बन गई. सीएसईबी के जोन एक के 33 केवीए के सब स्टेशन के पास लगे फ्लैक्स तेज हवा में उड़कर सब स्टेशन के तारों में जाकर फंस गया, जिसके कारण जोन एक के अंतर्गत आनेवाले सभी ईलाकों में डेढ़ घंटे से अधिक समय तक बिजली सप्लाई ठप हो गई. इस दौरान पूरा शहर में अंधेरे में डूबा रहा. लगभग आठ बजे बिजली आपूर्ति फिर से बहाल हो सकी.

खनन माफिया अमृत पटेल पुलिस गिरफ्त में

सारंगढ़ के बहुचर्चित 307 सहित अन्य गंभीर मामलों में फरार आरोपी अमृत पटेल व उसका साथी रेंगालपाली बार्डर से गिरफ्तार

न्याय साक्षी/रायगढ़। सारंगढ़ क्षेत्र में अवैध खनन पर कार्यवाही करने गये सहायक कलेक्ट्र मयंक चतुर्वेदी व उनके टीम पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी अमृत पटेल को उसके साथी के साथ पुलिस अधीक्षक रायगढ़ द्वारा गठित की गई टीम द्वारा आज दिनांक 16.05.19 को रेंगालपाली ओडिसा बार्डर से गिरफ्तार किये है ।

विदित है कि आरोपी के विरूद्ध सहायक कलेक्टर चतुर्वेदी पर जानलेवा हमला करने सहित अन्य कई मामले थाना सारंगढ़ में पूर्व से पंजीबद्ध है । जिनमें - वर्ष 2002 में 179/02 धारा 147,148,149 ता.हि., 182/02 धारा 509,294 ता.हि. वर्ष 2013 में 42/13 धारा 186,188 ता.हि. वर्ष 2014 में 159/14 धारा 294,506,323,341,427 ता.हि. वर्ष 2018 में 477/18 धारा 379 ता.हि. 4(21) खनिज अधिनियम के मामले में आरोपी को पूर्व में गिरफ्तार कर प्रकरण का चालान माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा चुका है। ये तथा माननीय न्यायालय में विचाराधीन है ।

इस वर्ष 2019 आरोपी के विरुद्ध दिनांक 11-12.04.19 के दरमियानी रात सहायक कलेक्टर व उनकी टीम पर हमला करने के मामले में 195/19 धारा 186,332,353,307,294, 506,34 ता.हि. विद्युत चोरी का अपराध 198/19 धारा 135 विद्युत अधिनियत तथा अवैध विस्फोटक पदार्थ उपयोग करने के संबंध में 206/19 धारा 5 विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया है, जिसमें आरोपी की गिरफ्तारी की जानी थी ।

दिनांक 12.04.2019 की घटना के बाद से घटना का मुख्य आरोपी अमृत पटेल व उसका साथी फरार थे, जिसकी पतासाजी/गिरफ्तारी कराने में पुलिस को सहयोग देने वाले के लिए पुलिस अधीक्षक रायगढ़ द्वारा 5000 रूपये का ईनाम उद्घोषणा जारी किया गया साथ ही आरोपियों की पतासाजी/गिरफ्तारी व अपराध के सतत पर्यवेक्षण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के मार्गदर्शन में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी सारंगढ़ जितेन्द्र खुंटे के नेतृत्व में दो निरीक्षक सहित 08 सदस्यीय पुलिस टीम का गठन किया गया।

आरोपी के फरार होने के बाद से पुलिस की टीम प्राप्त सूचना पर जिले में तथा ओडिसा के भुवनेश्वर , पुरी महाराष्ट के मुंबई सहित कई स्थानों में दबिश दी थी किन्तु आरोपी को पुलिस की पतासाजी की भनक लगते ही अपना लोकेशन बदल देता था जिससे पुलिस टीम को सफलता हासिल करने में समय लगा । अप.क्र. 195/19 धारा 186, 332, 353,307, 294, 506, 34 आईपीसी की विवेचना दरम्यान धारा 341 आईपीसी एवं अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(×) जोड़ी जाकर विवेचना की जा रही थी कि पुनः पुलिस को आरोपी के ओडिसा भुवनेश्वर में छिपकर रहने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस की अलग-अलग 04 टीमों ने भुवनेश्वर के कई स्थानों में दबिश दिया और आरोपी का पीछा करते हुए रेंगालपाली ओडिसा बार्डर के पास आज दिनांक को दोपहर में आरोपी अमृत पटेल और उसके साथी कन्हैया पटेल को पुलिस टीम ने धर दबोचा । आरोपी (1) अमृत पटेल पिता सीताराम पटेल उम्र 42 वर्ष निवासी गजानंदपुरम कोतरारोड़ रायगढ़ (2) कन्हैया पटेल पिता रघुवर पटेल उम्र 28 वर्ष निवासी टिमरलगा थाना सारंगढ़ अब पुलिस गिरफ्त में है , जिसे शीघ्र न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जावेगा ।

जल संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में नरवा कार्यक्रम कारगर कदम

नरवा प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ की प्राचीन संस्कृति को समृद्ध बनाने एक अनोखी पहल

न्याय साक्षी/रायगढ़ । रायगढ़, 16 मई। छत्तीसगढ़ की प्राचीन परम्परा को एक नवीन पृष्ठभूमि के साथ संजोने का काम शासन की योजना नरवा, गरूवा, घुरवा और बाड़ी है। इस अनोखे पहल से न सिर्फ नये रोजगार के आयाम सृजन होंगे, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक लोक परम्पराओं के गौरवशाली इतिहास से समृद्ध छत्तीसगढ़ की नई पहचान बनेगी। ग्रामीण कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इस योजना के तहत प्रत्येक ग्राम में कम से कम एक जल स्त्रोत का पुर्नजीवन किया जाएगा, जिससे कि स्थायी सामुदायिक परिसम्पत्ति के सृजन एवं उपयोग सुनिश्चित हो। जल संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में नरवा कार्यक्रम कारगर कदम है। ग्रामीण अंचलों में जल स्त्रोतों नालों के उद्गम स्थलों से शुरूआत करते हुए आवश्यकतानुसार जल संचयन एवं संवर्धन हेतु कच्ची एवं पक्की संरचनाओं का निर्माण वैज्ञानिक ढंग से सैटेलाइट इमेज एवं जीआईएस मेप का उपयोग किया जाएगा। छोटे स्ट्रक्चर, बोल्डर चेक डेम इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा।

नरवा कार्यक्रम के अंतर्गत रायगढ़ जिले में जीआईएस मैपिंग के आधार पर 13 नालें चिन्हांकित किए गए है जिससे 122 ग्राम पंचायत लाभान्वित होगी। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत लगभग 31 करोड़ 59 लाख 58 हजार रुपए है। नालों के ड्रेनेज पैटर्न अनुसार जीआईएस मैचिंग कर कलेडस्ट्रेल, इम्पोजिंग करवा कर ग्राम पंचायतों का चिन्हांकित किया गया है एवं सर्वे का कार्य वन विभाग, सिंचाई एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जाकर मार्डन अनुसार जल एवं मृदा संरक्षण हेतु 6692 स्ट्रक्चर चिन्हांकित किया गया है। इस कार्य में कृषि, वन, जल संसाधन विभाग द्वारा सामूहिक क्षेत्रीय कार्य किया जाकर, ड्रेनेज पैटर्न एवं विस्तृत कार्ययोजना तैयार किया गया है।

तेज रफ्तार मोटर सायकल से गिरकर महिला का निधन

न्याय साक्षी/रायगढ़। मोटर सायकल की तेज रफ्तार और चालक का मोटर सायकल पर नियंत्रण नहीं होना अक्सर अप्रिय घटनाओं को निर्यत्रित करता है, बावजूद इसके चालकों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है ।

यही दिनांक 14.05.19 को थाना घरघोड़ा अन्तर्गत देखने को मिला , जब एक अधेड महिला दुर्घटना का शिकार हो गई, दुर्घटना में महिला की अकाल मौत हो गई है।

जानकारी के अनुसार थाना घरघोड़ा के ग्राम बरौद में रहने वाली सुंदरी झरिया पति स्व0 जगलाल झरिया उम्र 50 वर्ष दिनांक 14.05.19 के करीब 03:00 बजे ग्राम बरौद से संदीप झरिया के सोल्ड मो0सा0 प्लेटिना के बीच में प्रिती झरिया और पीछे सुंदरी झरिया बैठी और तीनों ग्राम बरौद सप्ताहिक बाजार करने कुडुमकेला गये थे । संदीप झरिया मो0सा0 को कुडुमकेला से तेज रफ्तार और लापरवाही पूर्वक चलाते हुए शाम करीब 05/30 बजे कुरकुट नाला के पास एक्सीडेंट कर दिया जिससे सुंदरी झरिया के सिर, माथा एवं सिर के पीछे चोट आकर खुन निकलने लगा और वह बेहोस हो गई । घटना की जानकारी सुंदरी झरिया के लडका अनिल झरिया, सुनील झरिया को मिलने पर मौके में आकर एम्बुलेंस से ईलाज कराने सुंदरी झरिया को सीएचसी घरघोडा लाये ईलाज के दौरान सुंदरी झरिया फौत हो गई । घटना के संबंध में आरोपी संदीप झरिया पिता राजेन्द्र झरिया सा0 बरौद के विरूद्ध थाना घरघोड़ा में अप.क्र. 96/19 धारा 304-ए भादवि का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है ।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता — इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी सकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां — मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु — प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें — संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित विभिन्न कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें ....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की

खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग. संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480